उत्तराखण्ड सरकार
सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 18 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(08/26)

आगामी 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक प्रस्तावित है। इस संबंध में मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने शुक्रवार को सचिवालय में विभाग के सचिवों के साथ तैयारी बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ईनाम (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट), कोल्ड स्टोरेज और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की योजनाएं उज्ज्वला योजना, एलईडी वितरण योजना, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का लाभ और उड़ान योजना, सेतु भारतम योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बच्चों के टीकाकरण हेतु इंद्रधनुष योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्य स्तर पर किए गए प्रयास, डिजिटल इंडिया, भीम ऐप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लिंग अनुपात में सुधार, खुले में शौच से मुक्त क्षेत्रों की प्रगति, ''प्रगति'' कार्यक्रम का प्रभाव, राज्य की योजना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का आधार से जोड़ना, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना सहित अन्य केंद्रीय योजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

वीरेन्द्र सिंह, मीडिया प्रभारी : 7055007014

देहरादून 18 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(08/25)

अनाधिकृत रूप से बैंकिंग और पैसा जमा करने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। इसके लिए राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) के सहयोग से फुलप्रूफ रणनीति तय कर ली है। खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। राज्य में कार्यरत आर्थिक अपराध शाखा(ईओडब्ल्यू) को और अधिक मजबूत बनाया गया है। ईओडब्लू ने दो आर्थिक अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इस बारे में मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने राज्य स्तरीय समन्वय समिती(एसएलसीसी) की बैठक कर एसओपी(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम) को अंतिम रुप दिया। बैठक में आरबीआई, सेबी, एनएचबी, आईआरडीए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, सीआरसीएस आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में तय किया गया कि मीडिया के माध्यम से आर्थिक अपराधों के बारे में लोगों को जागरुक किया जाएगा। जिससे भ्रामक विज्ञापन के चक्कर में फस कर उनकी गाढ़ी कमाई का धन डूब न जाए। इसके लिए आरबीआई मीडिया कार्यशाला आयोजित करेगा। मीडिया को उत्तराखंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर संशोधन अधिनियम–2016, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट–1976 संशोधन, उत्तराखंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आदि के बारे में बताया जाएगा। सीआरसीएस(सेंटल रजिस्टार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाइटीज), सेबी(द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया), आईआरडीए(इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉर्टी), एनएचबी(नेशनल हाउसिंग बोर्ड), रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आदि नियामकों के अधिकार और कर्तव्य की जानकारी दी जाएगी।

एसएलसीसी की बैठक में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस खोलने, यूपीआईडी एक्ट को लागू करने, विभिन्न नियामकों और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एसओपी तय करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में आरओसी(रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) ऑफिस खोलने से अनाधिकृत रुप से संचालित कंपनियों, बैंकिंग संस्थाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। जानकारी मिली है कि राज्य में 52 मल्टी कोआपरेटिव सोसाइटी कार्य कर रही है। इन समितियों ने आसीएस से एनओसी नही ली है। अनाधिकृत रुप से धन जमा करने वाली इन समितियों की छानबीन की जा रही है। इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारियों को सक्षम अधिकारी बनाया गया है।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी, सचिव वित्त अमित नेगी, महाप्रबंधक आरबीआई सुब्रत दास, अपर सचिव वित्त श्रीधर बाबु आदांकी, सहायक महाप्रबंधक आरबीआई शरद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।

देहरादून 18 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(08/25)

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंर्तगत कृषि, उद्यान एवं पशुपालन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न रोजगारपरक को डिजिटल एक्सटेंशन सर्विस से जोड़ा जायेगा। डिजिटल एक्सटेंशन सर्विस के माध्यम से परियोजना लाभार्थियों को लाभप्रद तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

इस सम्बंध में सचिवालय के एफआरडीसी सभागार में शुक्रवार को मुख्य परियोजना निदेशक श्री डी.सेन्थिल पाडियन की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें उत्तराखंड के किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

बैठक में बताया गया कि उत्तराखण्ड में पलायन मुख्य चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए यह डिजिटल एक्सटेंशन सर्विस मुख्य भूमिका निभा सकती है। बैठक में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। विभिन्न विभागों के साथ चर्चा कर डिजिटल एक्सटेंशन सर्विस को उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरुप तैयार किये जाने हेतु सुझाव दिये गये।

कर्नाटक से आये विशेषज्ञ श्री आनंद बाबू ने बताया कि डिजिटल एक्सटेंशन सर्विस की यह सेवा कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडू एवं झारखण्ड राज्यों के काश्तकारों को दी रही है। इसके अन्तर्गत एक विशेष प्रकार डेटा युक्त डिवाइस को ग्राम स्तर स्थापित किया जाता है, जिससे किसान अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कलस्टर स्तर पर एक डिवाइस स्थापित की जायेगी। प्रति डिवाइस लागत रु. 16,000 से 20,000 तक आयेगी।

बैठक में कृषि, उद्यान व पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग की किसान उपयोगी योजनाओं संबंधी सूचनायें व जानकारी के संचार हेतु इस डिवाइस को उपयुक्त बताया तथा उत्तराखण्ड के किसानों की आवश्यकता के अनुरूप डिवाइस को तैयार करने हेतु सुझाव दिये। डिवाइस को एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत गठित सहकारिताओं व कृषि, उद्यान व पशुपालन विभाग से जुड़े काश्तकारों के लिए लागू करने पर सहमति बनी है।

बैठक में डा. राम विलास यादव अपर निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग